चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/10393
दिनांक :– 19.2.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित विधि महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– विधि पाठयक्रम में प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में।

महोदय,

विश्वविद्यालय स्तर पर विधि संकाय में प्रायोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु सूची के निर्धारण हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित आपके संस्थानों में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों की सूचना एवं योग्यता (न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव) के आधार पर निम्न प्रारूप पर तत्काल विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में दिनांक 23.02.2021 को सायः 4:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियत समय के पश्चात प्राप्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसका उत्तरदायित्व संस्थान का स्वंय का होगा।

क्रम सं0	पाठयक्रम (एल0एल0बी0/बी0ए0एल0 एल0बी0/ बी0काम0 एल0एल0बी0)	प्राचार्य का नाम	शिक्षक का नाम	अनुमोदित विषय का नाम	अनुमोदन की तिथि	शिक्षक का आधार नम्बर	शिक्षक का वाट्सएप नम्बर	शिक्षक का कुल अनुभव
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विशेषः–

01. सूचना को अंकित करते हुए संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न करें।
02. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. संकायाध्यक्ष विधि, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ,मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी वेब्रसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ,मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ,मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव